

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास (म0प्र0)

क्रमॉक-171/24

देवास दिनांक- 29.11.2024

::- विविध आदेश -::

मैं डॉ. रविकांत सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास म.प्र. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह दिसम्बर, 2024 में आने वाले सार्वजनिक अवकाश में रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को उनके न्यायालय कक्ष में सायं 3 से 5 बजे तक कार्य संपादित करने हेतु आदेशित करता हूँ :-

मुख्यालय देवास

क	पीठासीन अधिकारी का नाम	दिसम्बर, 2024
1	श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी, जे.एम.एफ.सी.	-
2	श्री कुँवर युवराजसिंह, जे.एम.एफ.सी.	-
3	सुश्री रश्मि खुराना जे.एम.एफ.सी.	25
4	सुश्री निकिता वाष्णोय, जे.एम.एफ.सी.	8
5	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम.एफ.सी.	15
6	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी.	1
7	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	29
8	श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी.	21
9	सुश्री चंद्रा पंवार, जे.एम.एफ.सी.	22

तहसील मुख्यालय सोनकच्छ

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	दिसम्बर, 2024
1	सुश्री निकिता पवार, जे.एम.एफ.सी.	1, 8, 15,
2	श्री शुभम गुप्ता, जे.एम.एफ.सी.	21, 22, 25, 29

तहसील मुख्यालय टोंकखुर्द

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	दिसम्बर, 2024
1	श्री बुदेसिंह सोलंकी, जे.एम.एफ.सी.	8, 15, 25
2	सुश्री आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.	1, 21, 22, 29

तहसील मुख्यालय बागली

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	दिसम्बर, 2024
1	श्री राकेश कुमार जाटव, जे.एम.एफ.सी.	15, 25
2	श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, जे.एम.एफ.सी.	21, 22,
3	सुश्री आयुषी मालवीय, जे.एम.एफ.सी.	1, 8, 29

तहसील मुख्यालय कन्नौद

क्र.	पीठासीन अधिकारी का नाम	दिसम्बर, 2024
1	श्रीमती मीना शाह, जे.एम.एफ.सी.	15, 25
2	श्रीमती नंदिनी उईके, जे.एम.एफ.सी.	29
3	श्रीमती सोनाली शर्मा, जे.एम.एफ.सी.	21, 22
3	श्री कुंदन कछवाह, जे.एम.एफ.सी.	1, 8

तहसील मुख्यालय खातेगांव

क्र.	पीठासीन अधिकारी का नाम	दिसम्बर, 2024
1	श्रीमती राधा उईके, जे.एम.एफ.सी.	15, 25
2	श्री पंकज सविता, जे.एम.एफ.सी.	1, 29
3	श्री राजू पन्द्रे, जे.एम.एफ.सी.	21, 22, 8

नोट:-

- उपरोक्त वर्णित तिथियों में मजिस्ट्रेट, कर्मचारियों सहित दिन में 3 बजे से 5 बजे तक न्यायालय में कार्य संपादित करेंगे। किसी कारणवश उक्त कार्य संपन्न करने की असमर्थता की स्थिति में अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वे मुख्यालय अथवा तहसील में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट से चर्चा स्वयं करेंगे और मुख्यालय अनुमति मिलने पर वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में इस न्यायालय को सूचित करने के पश्चात ही मुख्यालय प्रस्थान करेंगे। माह **दिसम्बर** में मध्य में कोई शासकीय अवकाश घोषित होने पर उक्त दिवस का आकस्मिक कार्य मुख्यालय देवास में श्री युवराज सिंह, सोनकच्छ में सुश्री निकिता पवार जे.एम.एफ.सी., टोंकखुर्द में सुश्री आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी., बागली में सुश्री आयुषी मालवीय जे.एम.एफ.सी., कन्नौद में श्री कुंदन कछवाह जे.एम.एफ.सी., एवं खातेगांव में श्री राजू पन्द्रे, जे.एम.एफ.सी. के द्वारा संपादित किया जावेगा। **रिमांड अवधि में आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित न्यायिक अधिकारी, के द्वारा सी.जे.एम. को लिखित सूचना दी जाकर अनुमति उपरांत ही रिमाण्ड ड्यूटी से विरत होंगे।**
- यदि कोई मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग पर जाते हैं तो उक्त ट्रेनिंग अवधि में रिमांड ड्यूटी का प्रभार वैसे ही रहेगा जैसे उक्त मजिस्ट्रेट के अवकाश अवधि में जाते समय प्रभार में रहता है।
- उक्त अवधि के दौरान किसी मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने पर उक्त रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

(डॉ. रविकांत सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला देवास